यह रहा — 👇
"सामाजिक न्यायशास्त्र का विद्यालय (Sociological School of Jurisprudence)" —
पूरी तरह **हिंदी में**, परीक्षा में उपयोगी और 5 से 20 अंकों के उत्तर के अनुसार तैयार किया गया है।

⚖️ सामाजिक न्यायशास्त्र का विद्यालय (Sociological School of Jurisprudence)

🔹 परिचय (Introduction)

सामाजिक न्यायशास्त्र आधुनिक युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्यालय है।
इसका उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ जब औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में तीव्र परिवर्तन आए।
इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था —

"कानून को समाज की आवश्यकताओं, परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप समझना।"

जहाँ **विश्लेषणात्मक विद्यालय (Analytical School)** ने कानून को "सत्ता का आदेश" कहा,
वहीं **सामाजिक विद्यालय (Sociological School)** ने कहा —

"कानून समाज के जीवन से उत्पन्न होता है और समाज के कल्याण के लिए होता है।"

इस विद्यालय का मूल आधार है —

"Law is a social phenomenon."
(कानून एक सामाजिक घटना है।)

🔹 मुख्य विचार (Main Idea)

- कानून न तो केवल विधायिका की रचना है,
  और न ही केवल नैतिक या दैवीय सिद्धांतों का परिणाम।
- कानून समाज की आवश्यकताओं से जन्म लेता है और उसका उद्देश्य समाज में संतुलन, न्याय और व्यवस्था बनाए रखना है।
- यह विद्यालय कहता है कि —

"कानून को समाज के व्यवहार, प्रथाओं और संस्थाओं के संदर्भ में समझना चाहिए।"

🔹 सामाजिक न्यायशास्त्र के प्रमुख विचारक (Main Thinkers)

विचारक	प्रमुख विचार
1. Auguste Comte (1798–1857)	समाजशास्त्र के जनक; उन्होंने कहा कि कानून का अध्ययन सामाजिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
2. Eugen Ehrlich (1862–1922)	'Living Law' (जीवंत विधि) का सिद्धांत; न्यायालय का कानून नहीं, बल्कि समाज में प्रचलित आचरण ही वास्तविक कानून है।

विचारक	प्रमुख विचार
3. Roscoe Pound (1870–1964)	"Law is a tool of social engineering" — कानून समाज को संतुलित रूप से चलाने का उपकरण है।
4. Duguit (1859–1928)	'Social Solidarity' (सामाजिक एकता) का सिद्धांत; राज्य का कार्य समाज के सामूहिक हित की पूर्ति करना है।
5. Ihering (Rudolf von Ihering, 1818–1892)	'Law is the result of struggle' — कानून समाज के संघर्षों और आवश्यकताओं से विकसित होता है।

⚖️ **1. Auguste Comte**

- उन्होंने "Sociology" शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया।
- कहा कि समाज और कानून का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए।
- कानून का उद्देश्य समाज में *संगठन* और *अनुशासन* बनाए रखना है।

⚖️ **2. Eugen Ehrlich – Living Law Theory (जीवंत विधि सिद्धांत)**

- उन्होंने कहा कि वास्तविक कानून वह नहीं जो पुस्तक में लिखा है,
  बल्कि वह है जो लोग अपने दैनिक जीवन में *मानते और पालन करते* हैं।
- उन्होंने कहा —

"The centre of gravity of legal development lies not in legislation or judicial decision but in society itself."
अर्थात् — विधिक विकास का केन्द्र न्यायालय या विधान नहीं, बल्कि समाज है।

- Ehrlich ने "Living Law" शब्द से समाज में व्यवहारिक नियमों की पहचान की।

⚖️ **3. Roscoe Pound – Law as a Tool of Social Engineering**

- Roscoe Pound अमेरिका के महान न्यायशास्त्री थे।
- उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य "Social Engineering" है, यानी —

"कानून समाज में विभिन्न हितों (Interests) को संतुलित करने का साधन है।"

Pound के अनुसार हितों के प्रकार:

1. **Individual Interests (व्यक्तिगत हित)** – जैसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति आदि।
2. **Public Interests (सार्वजनिक हित)** – जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यवस्था।
3. **Social Interests (सामाजिक हित)** – जैसे न्याय, समानता, आर्थिक सुरक्षा।

- न्यायालय और विधायिका का कार्य इन सब हितों के बीच *संतुलन बनाना* है।

⚖️ 4. Duguit – Theory of Social Solidarity (सामाजिक एकता का सिद्धांत)

- ड्यूगिट के अनुसार राज्य की सत्ता "सर्वोच्च" नहीं है, बल्कि वह केवल एक सामाजिक संस्था है।
- राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज की *सामूहिक आवश्यकताओं* को पूरा करे।
- राज्य या कानून का औचित्य तभी है जब वह समाज की एकता और कल्याण को बढ़ाए।
- उनका कथन था —

"Law should aim at maintaining social solidarity."
अर्थात् — कानून का उद्देश्य सामाजिक एकता को बनाए रखना है।

⚖️ 5. Ihering – Law as a Means to an End (उद्देश्य की पूर्ति का साधन)

- उन्होंने कहा कि कानून समाज की आवश्यकताओं और संघर्षों से उत्पन्न होता है।
- कानून का उद्देश्य केवल न्याय नहीं बल्कि समाज में "हितों की सुरक्षा" है।
- उन्होंने कहा —

"The end of law is to serve life."
अर्थात् — कानून का अंतिम उद्देश्य जीवन की सेवा करना है।

🔹 सामाजिक न्यायशास्त्र की विशेषताएँ (Features of Sociological School)

1. कानून का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टि से किया जाता है।
2. कानून का स्रोत समाज की आवश्यकताएँ हैं।
3. कानून का उद्देश्य समाज का कल्याण है।
4. न्यायशास्त्र को व्यवहारिक (Practical) और जीवनपरक (Realistic) बनाया गया।
5. कानून और नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित किया गया।

🔹 आलोचनाएँ (Criticisms)

1. यह सिद्धांत अत्यधिक सामान्य और अमूर्त (Abstract) है।
2. यह कानून की निश्चितता को कम कर देता है।
3. समाज की विविधता को मापने का कोई ठोस मानदंड नहीं देता।
4. कभी-कभी "सामाजिक हित" की परिभाषा अस्पष्ट रहती है।

🔹 निष्कर्ष (Conclusion)

सामाजिक न्यायशास्त्र ने कानून को समाज से जोड़ा और यह बताया कि —

“कानून समाज के जीवन का प्रतिबिंब है।”

Ehrlich ने कानून को समाज का जीवंत व्यवहार कहा,
Roscoe Pound ने इसे समाज को संतुलित करने का उपकरण,
और Duguit ने इसे सामाजिक एकता का साधन बताया।

इस प्रकार, यह विद्यालय बताता है कि —

“कानून समाज के लिए है, समाज कानून के लिए नहीं।”

यह रहा आपका पूरा और सटीक उत्तर 👇
“ऐतिहासिक न्यायशास्त्र का विद्यालय (Historical School of Jurisprudence)” —
पूरी तरह हिंदी में, परीक्षा के लिए तैयार, 10–20 अंकों वाले प्रश्न के अनुरूप।

⚖️ ऐतिहासिक न्यायशास्त्र का विद्यालय (Historical School of Jurisprudence)

🔹 परिचय (Introduction)

ऐतिहासिक न्यायशास्त्र का विद्यालय 18वीं और 19वीं शताब्दी में उस समय विकसित हुआ जब फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में समाज, शासन और कानून में तीव्र परिवर्तन हो रहे थे।

इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था —

“कानून को उसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति और सामाजिक विकास के संदर्भ में समझना।”

इसने यह माना कि —

“कानून किसी व्यक्ति या विधान का आदेश नहीं, बल्कि समाज की परंपराओं, प्रथाओं और अनुभवों का परिणाम है।”

🔹 मुख्य सिद्धांत (Main Idea)

- कानून का विकास धीरे-धीरे समाज की आवश्यकताओं और परंपराओं से होता है।
- कोई भी कानून कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता।
- कानून समाज की “सामूहिक चेतना” (Collective Consciousness) का परिणाम है।

इस विद्यालय ने “कानून” को एक *जीवंत और विकासशील संस्था* माना,
जो समाज के साथ-साथ बढ़ती और बदलती है।

🔹 मुख्य विचारक (Main Thinkers of Historical School)

विचारक	प्रमुख विचार
1. Friedrich Karl von Savigny (1779–1861)	"Volkgeist" या "राष्ट्रीय आत्मा" का सिद्धांत — कानून जनता की सामूहिक चेतना से उत्पन्न होता है।
2. Sir Henry Maine (1822–1888)	कानून का विकास "Status से Contract" की ओर होता है।
3. Edmund Burke (1729–1797)	परंपराएँ समाज की आत्मा हैं; कानून उन्हें नष्ट नहीं कर सकता।
4. Puchta (Georg Friedrich Puchta)	Savigny के शिष्य; कहा कि कानून का स्रोत न केवल जनता की भावना है बल्कि न्यायविदों की व्याख्या भी है।

⚖️ 1. Savigny – "Volkgeist" या राष्ट्रीय आत्मा का सिद्धांत

- सैविनी ऐतिहासिक विद्यालय के जनक माने जाते हैं।
- उन्होंने कहा कि —

"Law is not made, it grows with the people."
अर्थात् — कानून बनाया नहीं जाता, बल्कि यह जनता के साथ बढ़ता है।

- कानून किसी एक व्यक्ति या विधान मंडल का नहीं, बल्कि जनता की सामूहिक चेतना (*Volksgeist*) का परिणाम है।
- उन्होंने फ्रांस में "Code Napoleon" की आलोचना करते हुए कहा कि किसी राष्ट्र के लिए कानून *उसकी संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली* के अनुरूप होना चाहिए।

⚖️ 2. Henry Maine – "Status to Contract" सिद्धांत

- Henry Maine ने समाज के विकास का नियम बताया —

"The movement of progressive societies has been from Status to Contract."
अर्थात् — समाज का विकास "स्थिति (Status)" से "अनुबंध (Contract)" की ओर होता है।

- पुराने समय में व्यक्ति का स्थान जन्म और परिवार से तय होता था (Status),
  जबकि आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्थिति अनुबंध, योग्यता और स्वतंत्रता पर आधारित है।
- उन्होंने कहा कि कानून सामाजिक प्रगति का साधन है जो धीरे-धीरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाता है।

⚖️ 3. Edmund Burke

- बर्क ने कहा कि समाज की परंपराएँ और रिवाज ही उसकी शक्ति हैं।
- कानून को अचानक नहीं बदला जा सकता; वह धीरे-धीरे विकसित होना चाहिए।
- उन्होंने "Continuity in law" (कानूनी निरंतरता) पर बल दिया।

⚖️ **4. Puchta**

- Puchta ने कहा कि कानून के दो स्रोत हैं —
    1. जनता की सामूहिक भावना (Volkgeist),
    2. न्यायविदों की व्याख्या (Juristic interpretation)।
- न्यायविद समाज की आवश्यकताओं को समझकर कानून का विकास करते हैं।

🔹 **ऐतिहासिक विद्यालय की विशेषताएँ (Features of Historical School)**

1. कानून का स्रोत समाज की परंपराएँ और रिवाज हैं।
2. कानून का विकास धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से होता है।
3. विधानमंडल कानून नहीं बनाती, केवल उसे व्यक्त करती है।
4. प्रत्येक राष्ट्र का कानून उसकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है।
5. कानून और समाज एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

🔹 **आलोचनाएँ (Criticisms)**

1. **अत्यधिक परंपरावादी** — यह विद्यालय परिवर्तन की गति को कम करता है।
2. **विधायिका की भूमिका को नकारता है** — जबकि आधुनिक समय में विधान ही प्रमुख स्रोत है।
3. **वैज्ञानिक आधार की कमी** — केवल ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित।
4. **सभी समाजों पर लागू नहीं** — सभी देशों का विकास समान रूप से नहीं होता।

🔹 **निष्कर्ष (Conclusion)**

ऐतिहासिक न्यायशास्त्र का विद्यालय यह सिखाता है कि —

“कानून को समझने के लिए उसके इतिहास और समाज को समझना आवश्यक है।”

सैविनी का “Volkgeist” सिद्धांत और मेन का “Status to Contract” सिद्धांत आज भी कानून और समाज के संबंध को समझने में उपयोगी हैं।

हालाँकि आधुनिक युग में विधानमंडल और न्यायपालिका की भूमिका बढ़ चुकी है,
फिर भी यह विद्यालय हमें याद दिलाता है कि —

“कानून केवल सत्ता का आदेश नहीं, बल्कि समाज की आत्मा का दर्पण है।”